इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 177]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 अप्रैल 2022—चैत्र 29, शक 1944

# लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2022

क्र. एफ-01-03-2022-सत्रह-मेडि.-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

# संशोधन

# उक्त नियमों में,-

- नियम 6 में, उप—नियम (1) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :--
  - "(ख) अनुसूची—चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नित द्वारा अथवा चयन समिति/छानबीन समिति द्वारा स्वीकृत क्रमोन्नत वेतनमान/चार स्तरीय वेतनमान प्राप्त चिकित्सा अधिकारी/दंत शल्य चिकित्सकों के चयन द्वारा; और।"।
- नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् : "14. पदोन्नति / चयन द्वारा नियुक्ति .-

- (1) सेवा के पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नित / चयन के लिए अनुसूची—चार समूह क (चिकित्सीय) कॉलम (5) में उल्लिखित सदस्यों से मिलकर एक पदोन्नित / चयन समिति गठित की जाएगी।
- (2) सिमिति, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार, अनुसूची चार, समूह क (चिकित्सीय) के कॉलम (3) में उल्लिखित पदों के लिए, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी।
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी इस आशय के प्रमाण-पत्र का पृष्ठांकन करेगा कि चिकित्सा अधिकारी / दंत शल्य चिकित्सक को विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नित / चयन ऐसे व्यक्तियों में से किया गया है, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के निदेशों / उपबंधों के अधीन चयन समिति / छानबीन समिति द्वारा समयमान वेतनमान / चार स्तरीय वेतनमान स्वीकृत किया गया है।
- (4) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन :— नियुक्ति प्राधिकारी इस आशय के प्रमाण—पत्र का पृष्ठांकन करेगा कि पदोन्नति/चयन आदेश मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी नियमों के उपबंधों के अधीन जारी किए गए अनुदेशों का पालन करता है।
- (5) समिति ऐसे अंतरालों से बैठक करेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निदेशित किया जाए किन्तु समिति सामान्यतः वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी।"।

# 3. अनुसूची एक में,--

(1) समूह—''क'' चिकित्सीय में, अनुक्रमांक 9, 10, 13 तथा 14 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

# अनुसूची—एक (नियम 5 देखिए) वर्गीकरण, वेतनमान में सम्मिलित पदों की संख्या समूह ''क'' चिकित्सा

			समू	ह 'क' चिकित्सा	
<b>.</b> Ф.	सेवा में सम्मिलित पदों	पदों	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्ति
	का नाम	की			
		संख्या			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	विशेषज्ञ (3564)		प्रथम	पी०बी० 3	(1) विभागीय जॉंच/न्यायालयीन
				(15600-39100) +	प्रकरण लंबित न होने पर
	(क) निश्चेतना विशेषज्ञ	385		6600 ग्रेड पे	छानबीन समिति/चयन
	(1) 111 111 1111	550		कनिष्ठ श्रेणी	समिति द्वारा अनुसंशित
				वेतनमान	कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ
10	(ख) ई.एन.टी. विशेषज्ञ	86		(100 प्रतिशत)	श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी
	(4) 8.3 1.01. 14414	00		(100 1111111)	वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा
			प्रथम	पी0बी0 3	पूर्ण कर लेने के पश्चात
133	(ग) मेडिकल विशेषज्ञ	648		(15600-39100) +	क्रमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान,
	(ग) गाठपारा विरावश	040		<b>7</b> 600 ग्रेड पे	प्रवर श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ
	(घ) स्त्री रोग विशेषज्ञ			वरिष्ठ श्रेणी	प्रवर श्रेणी वेतनमान के लिए
18	(प) रता राग विस्तिवश	632		वेतनमान (कनिष्ठ	पात्र होंगे किन्तु वरिष्ठ श्रेणी
				श्रेणी वेतनमान में	वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान
	(ङ) नेत्र रोग विशेषज्ञ	126		06 वर्ष सेवा पूर्ण	एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी
	(७) गत राग ।परापश	120		कर लेने के पश्चात	वेतनमान में चयन होने पर
				100 प्रतिशत)	उनके कर्तव्यों की प्रकृति में
	(च) अस्थि रोग विशेषज्ञ	228		,,,	कोई परिवर्तन नहीं होगा एवं
	(प) आस्य राग ।परापश	220	प्रथम	पी0बी0 4	वे पूर्ववत् आपात कर्तव्यों का
			21 1 1	(37400-67000) +	निर्वहन करते रहेंगे।
	(छ) शिशु रोग विशेषज्ञ	516		8700 ग्रेड पे	(2) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान
	(७) रिस् राग ।परापश	510		प्रवर श्रेणी वेतनमान	के स्वीकृत पदों में क्षेत्रीय
H				(वरिष्ठ श्रेणी	संचालक के पद सम्मिलित
	(ज) पैथोलॉजिस्ट	407		वेतनमान में 06 वर्ष	<b>巻</b>
	(ज) पथालाजिस्ट	137		सेवा पूर्ण कर लेने	(3) विभागीय जॉच/न्यायालयीन
				के पश्चात 100	प्रकरण लंबित न होने पर
	(झ) रेडियोलॉजिस्ट	00		प्रतिशत )	छानबीन समिति/चयन
	(अ) राज्यालगणस्ट	98		,	समिति द्वारा अनुसंशित
}			प्रथम	पी०बी० 4	विशेषज्ञ के पद का
	(a) arth Daha	055		(37400-67000) +	क्रमोन्नत/ चार स्तरीय
1	(ञ) सर्जरी विशेषज्ञ	655		8900 ग्रेड पे	वेतनमार्न प्राप्त करने वाले
-	८७ वस सेम निर्माल			वरिष्ठ प्रवर श्रेणी	पीजी चिकित्सक विशेषज्ञ के
1	(ट) क्षय रोग विशेषज्ञ			वेतनमान (प्रवर	पद के आगामी वरिष्ठ श्रेणी
				श्रेणी वेतनमान में	वेतनमान, व प्रवर श्रेणी
		1		06 वर्ष सेवा पूर्ण	वेतनमान एवं वरिष्ठ प्रवर
		53		कर लेने के पश्चात	श्रेणी वेतनमान हेतु पात्र होंगे।
- 1				०५ प्रतिशत)	S
1			1	,	
1					-

386 10

10"	दंत चिकित्सा विशेषज्ञ	54	तदैव	पी०बी० 3	(1) विभागीय जॉच / न्यायालयीन
4	*			(15600-39100) +	प्रकरण लंबित न होने पर
	29 95	-		6600 ग्रेड पे	छानबीन समिति/चयन
				कनिष्ठ श्रेणी	समिति द्वारा अनुसंशित
				वेतनमान	कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान,
				(100 प्रतिशत)	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर
					श्रेणी वेतनमान में 6वर्ष की
			तदैव	पी०बी० 3	सेवा पूर्ण कर लेने के
1				(15600-39100) +	पश्चात कमशः वरिष्ठ श्रेणी
1				7600 ग्रेड पे	वेतनमान, प्रवर श्रेणी
- 1				वरिष्ठ श्रेणी	वेतनमान ,वरिष्ठ प्रवर श्रेणी
1				वेतनमान (कनिष्ठ	वेतनमान के लिए पात्र होंगे
				श्रेणी वेतनमान में	किन्तु वरिष्ठ श्रेणी, प्रवर
	÷ 1/			06 वर्ष सेवा पूर्ण	श्रेणी एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी
- 1				कर लेने के पश्चात	वेतनमान में चयन होने पर
				१०० प्रतिशत)	उनके कर्तव्यों की प्रकृति में
- 1					कोई परिवर्तन नहीं होगा एवं
		i) II	तदैव	पी0बी0 4	वे पूर्ववत् आपात कर्तव्यों का
				(37400-67000) +	निर्वहन करते रहेंगे।
				8700 ग्रेड पे	(2) विभागीय जॉच/
1				प्रवर श्रेणी वेतनमान	न्यायालयीन प्रकरण लंबित न
				(वरिष्ठ श्रेणी	होने पर छानबीन
		* 0		वेतनमान में 06 वर्ष	समिति / चयन समिति द्वारा
				सेवा पूर्ण कर लेने	अनुसंशित विशेषज्ञ के पद
- 1				के पश्चात 100	का क्रमोन्नत / चार स्तरीय
				प्रतिशत )	वेतनमान प्राप्त करने वाले
	5.4		तदैव		एम०डी०एस० दंत चिकित्सक
				पी0बी0 4	दंत चिकित्सा विशेषज्ञ के
				(37400-67000) +	पद के आगामी वरिष्ठ श्रेणी,
		#		8900 ग्रेड पे	प्रवर श्रेणी एवं वरिष्ठ प्रवर
i				वरिष्ठ प्रवर श्रेणी	श्रेणी वेतनमान हेतु पात्र
				वेतनमान (प्रवर	होंगे।
				श्रेणी वेतनमान में	
	· ·			06 वर्ष सेवा पूर्ण	
				कर लेने के पश्चात	
				०५ प्रतिशत)	1 1

				1
13 चिकित्सा अधिकारी	5097	द्वितीय	पी०बी० 3	(1) विभागीय जॉच/न्यायालयीन
🏿 (क) कनिष्ठ श्रेणी			(15600-39100) +	प्रकरण लंबित न होने पर
वेतृनमान (100			5400 ग्रेड पे	छानबीन समिति/चयन
प्रातेशत)				समिति द्वारा अनुसंशित
				एम0बी0बी०एस० शैक्षणिक
(ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान		प्रथम	पी०बी० 3	योग्यता के चिकित्सकों के
(कनिष्ट श्रेणी			(15600-39100) +	संदर्भ में कनिष्ठ श्रेणी
वेतनमान में 06 वर्ष			6600 ग्रेड पे	वेतनमान, वरिष्ठ श्रेणी
सेवा पूर्ण कर लेने के				वेतनमान,प्रवर श्रेणी वेतनमान
पश्चात				में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर
एम0बी0बी0एस				लेने के पश्चात क्रमशः वरिष्ठ
योग्यता हेतु 100				श्रेणी वेतनमान,प्रवर श्रेणी
प्रतिशत किन्तु	r d		0	वेतनमान ,वरिष्ठ प्रवर श्रेणी
विशेषज्ञ श्रेणी की				वेतनमान के लिए पात्र होंगे
पीजी डिग्री /				किन्तु वरिष्ठ श्रेणी, प्रवर श्रेणी
डिप्लोमा योग्यता हेतु		9 ° '		एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी
विशेषज्ञ संवर्ग में पद				वेतनमान में चयन होने पर
रिक्तता अनुसार			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	उनके कर्तव्यों की प्रकृति में
वेतनमान / चयन हेतु		प्रथम	पी०बी० 3	कोई परिवर्तन नहीं होगा एवं
पात्र होगे)			(15600-39100) +	वे पुर्वानुसार आपात कर्तव्यों
(ग) प्रवर श्रेणी वेतनमान			7600 ग्रेड पे	का निर्वहन करते रहेंगे।
(वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान	>			(2) विभागीय जॉच/
में 06 वर्ष सेवा पूर्ण				न्यायालयीन प्रकरण लंबित न
कर लेने के पश्चात				होने पर छानबीन
एम०बी०बी०एस			A	समिति / चयन समिति द्वारा
योग्यता हेतु 100				अनुसंशित ऐसे चिकित्सक
प्रतिशत किन्तु				जिन्होने स्नातकोत्तर डिग्री
विशेषज्ञ श्रेणी की		*		उपरांत चिकित्सक के पद पर
पीजी डिग्री / डिप्लोमा				02 वर्ष अथवा स्नातकोत्तर
योग्यता हेतु विशेषज्ञ				डिप्लोमा उपरांत 03 वर्ष की
संवर्ग में पद रिक्तता		प्रथम	पी0बी0 4	नियमित सेवा पूर्ण की हो
अनुसार वेतनमान			(37400-67000) +	क्रमोन्नत वेतनमान पी०बी० 3
/चयन हेतु पात्र			8700 ग्रेड पे	(15600—39100) + 6600 ग्रेड
होगे)			0,00 // 0	पे प्राप्त कर विशेषज्ञ संवर्ग में
(घ) # वरिष्ठ प्रवर श्रेणी				पद रिक्तता अनुसार चयन
वेतनमान (प्रवर श्रेणी				हेतु पात्र होगे। चयन उपरांत
वेतनमान में 06 वर्ष				कर्तव्य प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ के
सेवा पूर्ण होने कर				भॉती होगे, तथा उक्त
लेने के पश्चात				चयनित चिकित्सको की
एम0बी0बी0एस				वरीयता विशेषज्ञ संवर्ग में
योग्यता हेतु 100				सीधी भर्ती किये गये तथा
प्रतिशत				पदोन्नत / चयन किये गये
NIVIVI				व्यक्तियों के बीच सापेक्ष
				वरिष्ठता नियुक्ति /
				पदोन्नति / चयन आदेश
				जारी किये जाने की तारीख
				के अनुसार अवधारित की
				जायेगी।

			A-0	thodo a	(1) बी०डी०एस० योग्यताधारी दंत
14	, दंत शल्य चिकित्सक	187	द्वितीय	पी०बी० 3 (15600—39100) +	शल्य चिकित्सक हेतु
	(+) =free and			(15000—33100) 1 5400 ग्रेड पे	विभागीय जॉच/ न्यायालयीन
	(क) किंश्व श्रेणी वेतनमान			3400 / 0 1	प्रकरण लंबित न होने पर
	(100 प्रतिशत)		प्रथम	पी०बी० उ	छानबीन समिति / चयन
	(100 sitietti)		7	(15600-39100) +	समिति द्वारा अनुसंशित
	(ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान			<b>े</b> 6600 ग्रेड पे	कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ
	(कनिष्ट श्रेणी				श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी
	वैतनमान में ०६ वर्ष		k1		वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा
	सेवा पूर्ण कर लेने के				पूर्ण कर लेने के पश्चात
	पश्चात बी०डी०एस०		E		कमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ
	योग्यता हेतु 100				प्रवर श्रेणी वेतनमान के लिए
	प्रतिशत किन्तु विशेषज्ञ श्रेणी की				पात्र होंगे किन्तु वरिष्ठ श्रेणी,
	विशेषज्ञ श्रेणी की पीजी डिग्री				प्रवर श्रेणी एवं वरिष्ठ प्रवर
	एम0डी०एस० योग्यता				श्रेणी वेतनमान में चयन होने
	हेतु विशेषज्ञ संवर्ग में	Nati	प्रथम	पी0बी0 3	पर उनके कर्तव्यों की प्रकृति
	पद रिक्तता अनुसार			(15600-39100) +	में कोई परिवर्तन नहीं होगा
52	वेतनमान / चयन हेतु			7600 ग्रेड पे	एवं वे पुर्वानुसार आपात्
	पात्र होगे)				कर्तव्यों का निर्वहन करते
					रहेंगे।
	(ग) प्रवर श्रेणी वेतनमान				(2) विभागीय जॉच / न्यायालयीन
	(वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान			,	प्रकरण लंबित न होने पर
	में 06 वर्ष सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात				छानबीन समिति/चयन
	बी०डी०एस० योग्यता				समिति द्वारा अनुसंशित ऐसे
	हेतु 100 प्रतिशत				दंत शल्य चिकित्सक जिन्होने
	किन्तु विशेषज्ञ श्रेणी		प्रथम	पी०बी० ४	स्नातकोत्तर डिग्री उपरांत दंत
	की पीजी डिग्री			(37400-67000) +	शत्य चिकित्सक के पद पर
	एम०डी०एस० योग्यता			8700 ग्रेड पे	02 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण
	हेतु विशेषज्ञ संवर्ग में				की हो कमोन्नत वेतनमान
	पद रिक्तता अनुसार				पी0बी0 3 (15600—39100) +   6600 ग्रेड पे प्राप्त कर दंत
	वेतनमान / चयन हेतु				चिकित्सा विशेषज्ञ पद की
	पात्र होगे)				रिक्तता अनुसार चयन हेतु
	L 4				पात्र होगे। चयन उपरांत
	(घ) # वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (प्रवर श्रेणी				कर्तव्य प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ के
	वेतनमान में 06 वर्ष				भॉती होगे, तथा उक्त
	सेवा पूर्ण होने कर				चयनित दंत शल्य चिकित्सको
	लेने के पश्चात्				की वरीयता विशेषज्ञ संवर्ग में
	बी०डी०एस० योग्यता				सीधी भर्ती किये गये तथा
	हेतु 100 प्रतिशत				पदोन्नत / चयन किये गये
					व्यक्तियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता नियुक्ति /
					पदोन्नति / चयन आदेश
					जारी किये जाने की तारीख
					के अनुसार अवधारित की
					जायेगी।
-					****

- ((2) टिप्पण-2 के पश्चात् निम्न लिखित टिप्पण जोडी जाए, अर्थात् :--
  - "ट्रिप्पण—(3) चिकित्सक, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संशोधित आदेश क्रमांक एफ 14—01/2015/17/मेडि—1 दिनांक 16.03.2016 के अनुसार पात्र होंगे जो कि वित्त विभाग की सहमति टीप क्रमांक 92/13/2016/वित्त/नियम/चार दिनांक 18.1.2016 द्वारा राज्य सरकार द्वारा विशेषज्ञ के संबंध में चार स्तरीय वेतनमान कियान्वयन में विसंगतियों को सुधारने के लिए प्रकाशित किया गया था।
  - 4. अनुसूची दो, समूह ''क'' चिकित्सा, में सरल कमांक 9, 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात् :-

अनुसूची—दो (नियम 6 देखिए) भरती का तरीका समूह "क" चिकित्सा

अनु. पद व क्रं.	ग नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों			पदों की	अभ्युवि	ोत	
क्र.		नाम	। पटों	11		भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की			
					ख्या की प्रतिश	तता			
		, ·	की	सीधी	पदोन्नति /	अन्य	]		
		l	कुल	भरती	चयन द्वारा	सेवाओं से			
1 1			संख्या	द्वारा	(क्रमोन्नत	व्यक्तियों			
				[नियम-6	वेतनमान/	के			
				(1) (ক)	चार स्तरीय	रथानांतरण			
				देखिये}	वेतनमान	द्वारा (नियम			
					द्वारा)	-6 (1)(刊)			
		1			{नियम-6 (1)	देखिये}			
					(ख) देखिये)				
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8	)	
9		मध्यप्रदेश						2) में	
(क) निश्चेतन	ग विशेषज्ञ	लोक स्वास्थ्य एवं			į.		वर्णित	पद,	
1 1		परिवार					कॉलम (६		
		कल्याण	385	25 %	75 %		अंकित प्रति	शत्ता	
		(राजपत्रित)					अनुसार	ऐसे	
		सेवायें — प्रथम श्रेणी					चिकित्सकों	से	
		X-1.1 X(-1)					भरे	जावेगे	
(ख) ई.एन.र्ट	विशेषज्ञ	तदैव	86	25 %	75 %		जिनका	चयन	
(-) (.,	1147 191	1144	00	20 /0	13 70		क्रमोन्नत		
							वेतनमान	/चार	
(ग) मेडिकल	। विशेषज्ञ	तदैव	648	25 %	75 %	1	स्तरीय वेत	नमान	
( )			040	20 /0	75 %	-	द्वारा किया	गया	
(घ) स्त्री रोग	ा विशेषज्ञ						है।		
(1) 1888 180		तदैव	632	25 %	75 %	-			
								-	
(ङ) नेत्र रोग	विशेषज	तदैव	126	25 %	75 %				
( , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		., .,	120	20 /0	75 76				
(A) 02A									
(च) अस्थि रो	। विशवज्ञ	तदैव	228	25 %	75 %				
								1	

, 1 w	<u>.</u>		•71			<b>8</b> 77	
	(छ) शिशु रोग विशेषज्ञ	तदैव	516	25 %	75 %	-	
	(ज) पैथोलॉजिस्ट	तदैव	137	25 %	75 %	-	
	(झ) रेडियोलॉजिस्ट	तदैव	98	25 %	75 %		
	(ञ) सर्जरी विशेषज्ञ	तदैव	655	25 %	75 %	-	
	(ट) क्षय रोग विशेषज्ञ	तदैव	53	25 %	75 %		
10	दन्त चिकित्सा विशेषज्ञ	तदैव	54	25 %	75 %	:=	तदैव

5. अनुसूची — तीन, समूह "क" चिकित्सा के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थातु :--

> अनुसूची—तीन (नियम 8 देखिए) सीधी भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

समूह "क" चिकित्सा अधिकतम विहित शैक्षणिक अर्हताएँ अभ्युक्ति पदनाम न्यूनतम अन्. क. आयु आय् सीमा सीमा (5) (1) (2)(3) (4) (6) विशेषज (1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा (क) निश्चेतना विशेषज्ञ 21 वर्ष 40 वर्ष (ख) ई.एन.टी. विशेषज्ञ मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (ग) मेडिकल विशेषज्ञ सी०पी०एस० डिप्लोमा (घ) स्त्री रोग विशेषज्ञ अथवा समतुल्य अर्हता (ङ) नेत्र रोग विशेषज्ञ (च) अस्थि रोग विशेषज्ञ अथवा (छ) शिशु रोग विशेषज्ञ भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा (ज) पैथोलॉजिस्ट मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में (झ) रेडियोलॉजिस्ट रनातकोत्तर डिग्री (ञ) सर्जरी विशेषज्ञ अथवा (ट) क्षय रोग विशेषज्ञ भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में सूपर स्पेशलिएटी डिग्री / डिप्लोमा (2) म0प्र0 चिकित्सा परिषद में संबंधित विषय में स्थाई पंजीकरण अनिवार्य।

0.00						
	2	दंत चिकित्सा विशेषज्ञ	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री ।	-
		_			(2) म0प्र0 राज्य दन्त चिकित्सा परिषद में स्थाई पंजीकरण अनिवार्य।	
	3	चिकित्सा अधिकारी	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) एम०बी०बी०एस० या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता ।	_
					(2) म0प्र0 चिकित्सा परिषद में स्थाई पंजीकरण अनिवार्य।	
	4	दन्त शल्य चिकित्सक	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) बी.डी.एस. उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वाविद्यालय की कोई समतुल्य अर्हता ।	
					(2) म0प्र0 राज्य दन्त चिकित्सा परिषद में स्थाई पंजीकरण अनिवार्य।	

- 6. उक्त नियमों में, अनुसूची तीन, समूह "क" चिकित्सा, में निम्न लिखित टिप्पण स्थापित किए जाए, अर्थात् :—
  - "टिप्पण (1) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत चिकित्सक / दंत शल्य चिकित्सक को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विशेषज्ञ पद हेतु विभागीय अनापित की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु अन्य विभागों के अधीनस्थ पदस्थ चिकित्सक / दंत शल्य चिकित्सक को विभागाध्यक्ष कार्यालय की अनापितत प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
    - (2) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन / अन्य विभागों के अधीन पदस्थ चिकित्सक / दंत शल्य चिकित्सक का विशेषज्ञ / दंत चिकित्सा विशेषज्ञ के पद पर चयन होने की स्थिति में पूर्व धारित पद से तकनीकी त्याग–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
    - (3) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विशेषज्ञ पद हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत चिकित्सक / दंत शल्य चिकित्सक को नियमानुसार पूर्व सेवा का लाभ, यदि अन्यथा नियमों के अधीन देय हो तो, नये पद पर वेतन निर्धारण के प्रयोजनार्थ अनुमत्य किया जायेगा।"
- 7. उक्त नियमों में, अनुसूची चार, समूह ्''क'' चिकित्सा, में सरल कमांक 9, 10 में विद्यमान प्रविष्ठियों के स्थान पर निम्नांकित प्रविष्ठियां प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात :--

#### अनुसूची—चार (नियम 13 तथा 14 देखिए) पूर्दोन्नति / चयन के लिये सेवा अनुभव तथा विभागीय पदोन्नति / चयन समिति के सदस्य समूह "क" चिकित्सा

		समूह "व	<b>म</b> ' चिकित्सा	
अनु. क.	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति / चयन किया जाना है 2 चिकित्सा अधिकारी	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति / चयन किया जाना है (चार स्तरीय वेतनमान / क्रमोन्नत वेतनमान) 3 विशेषज्ञ (क) निश्चेतना विशेषज्ञ (ख) ई.एन.टी. विशेषज्ञ (प) मेंडिकल विशेषज्ञ (प) स्त्री रोग विशेषज्ञ (प) स्त्री रोग विशेषज्ञ (प) अस्थि रोग विशेषज्ञ (प) शिशु रोग विशेषज्ञ (प) रिशु रोग विशेषज्ञ	उस पद के लिये जिससे कि पदोन्नित / चयन किया जाना है, अनिवार्य अईताएं यिद हो तो, तथा अन्य अनुभव  4 ऐसे चिकित्सक जो स्नातकोत्तर डिग्री / स्नातकोत्तर डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारित व न्यूनतम् वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान प्राप्त कर चुके है अथवा ऐसे चिकित्सक जिन्होने स्नातकोत्तर डिग्री उपरांत चिकित्सक के पद पर 02 वर्ष अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा उपरांत 03 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो कमोन्नत वेतनमान पीठबीठ 3 (15600—39100) + 6600 ग्रेड पे प्राप्त कर विशेषज्ञ संवर्ग में पद रिक्तता अनुसार चयन हेतु	5 1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग — अध्यक्ष 2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें — सदस्य 3. अपर संचालक (वित्त) / वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य सेवायें — सदस्य 4. अपर संचालक (प्रशासन / विज्ञप्त) — सदस्य 5. अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति / जनजाति का प्रतिनिधित्व
10	दंत शल्य चिकित्सक		ऐसे दंत शल्य चिकित्सक जो स्नातकोत्तर डिग्री धारित व न्यूनतम् वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान प्राप्त कर चुके है अथवा ऐसे दंत शल्य चिकित्सक जिन्होंने स्नातकोत्तर डिग्री उपरांत दंत शल्य चिकित्सक के पद पर 02 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो कमोन्नत वेतनमान पी०बी० 3 (15600—39100) + 6600 ग्रेड पे प्राप्त कर दंत चिकित्सा विशेषज्ञ में पद रिक्तता अनुसार चयन हेतु पात्र होंगे।	कल्याण विभाग — अध्यक्ष 2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें — सदस्य

No. F-.O. - O. - ..../2022/17/Med-I - In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2007, namely:-

#### **AMENDMENTS**

In the said rules-,

- 1. In rule 6, in sub-rule (1), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-
  - "(b) By promotion of the members of the service specified in column (2) of Schedule-IV or by Selection of Medical officer / Dental Surgeon's who have been sanctioned time pay scale / four tire pay scale by selection committee / scrutiny committee; and. ".
- 2. For rule 14, the following rule shall be substituted, namely:-
  - "14. Appointment by Promotion/Selection.-
    - (1) A Promotion / Selection Committee shall be constituted, consisting the members mentioned in column (5) of Schedule IV Group A (Medical) for promotion / selection of eligible members of the service.
    - (2) The Committee shall consider the case of all persons for the posts mentioned in column (3) of Schedule IV Group A (Medical) from the post mentioned in column

- (2) of the said Schedule, as per the instruction issued by General Administration Department from time to time.
- (3) Appointing Authority shall endorse a certificate to the effect that the promotion / selection of Medical Officer / Dental Surgeon on the post of Specialist is made from persons who have been sanctioned time pay scale / four tire pay scale by selection committee / scrutiny committee under instruction / provisions of the rules issued by general Administration Department and Finance Department from time to time.
- (4) Certification by Appointing Authority:- Appointing Authority shall endorse a certificate to the effect that the promotion / Selection order complies with the (AnusuchitJatiyon, Pradesh LokSeva Madhya atiyonAur Anya Jan Anusuchi Adhiniyam, 1994 PichhadeVargonKeLiyeArakshan) (No. 21 of 1994) and instructions under the provisions rules issued by general Administration of the Department, from time to time."
- (5) The Committee shall meet at such intervals as may be directed by the Appointing Authority, but the committee ordinarilyshall meet at least twice in a year.".
- 3. In Schedule-I,
- (1) in Group-"A" Medical, for Serial No. 9, 10, 13 and 14, the following serial numbers shall be substituted, namely:-

### "SCHEDULE-I

# (See Rules 5)

# Classification, Pay Scale, Number of Posts Included in Service Group - A - Medical

Sr.	Name of Posts	Number	Classificatio	Scale of Pay	Remark
No	included in service	of Posts	n		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"9	Specialist			P.B3 (15600- 39100)+Grade	(1) In Case of no departmental
	(a)Anesthesia Specialist	385	Class I	Pay 6600  Junior Grade	enquiry and legal case and On the
×	(b) ENT Specialist	86		Scale (100 %)	recommendation of Screening /
	(c) Medical Specialist	648			Selection Committee, after
	(d) Obstetrics and gynaecology Specialist	632		P.B3 (15600- 39100)+ Grade Pay 7600	completing 6 Years service in Junior grade scale, senior grade scale, and
	(e)Eye Specialist	126		Senior Grade	selection grade scale, eligible for
	(f)Orthopedic Specialist	228	-Do-	Scale (100 % after completing 6 year service in	senior grade scale, selection grade scale and senior selection
	(g)Paediatric Specialist	516		Junior Grade Scale)	grade scale respectively but
	(h) Pathologist	137			there shall be no change in their
	(i) Radiologist	98		P.B4 (37400- 67000)+ Grade	duties in senior grade scale,
	(j)Srugery Specialist	655	v	Pay 8700	selection grade scale and senior selection
	(k) TB & Ches Specialist	53	-Do-	Selection Grade Scale (100 % after completing 6 year service in	grade scale and they shall continue to perform emergency duties as well.
	A = =	-		Senior Grade Scale)	(2) Posts of Regional Director are also included in
			1	P.B4 (37400- 67000)+ Grade Pay 8900	sanctioned posts of Senior selection Grade.  (3) In Case of no

-Do- Senior Selection Grade Scale (5 % of total post after completing 6 year service in Selection Grade Scale) Scale) Gepartmental enquiry and case and Or recommendation Screening Selection Committee, M officer who been sanct time pay scale tire pay scale tire pay scale be entitled for of Specialist senior grade selection grade and senior selection	edical have ioned four shall post and scale, scale ection
Senior Selection Grade Scale (5 % of total post after completing 6 year service in Selection Grade Scale)  Selection Committee, M officer who been sanct time pay scale tire pay scale tire pay scale be entitled for of Specialist senior grade selection grade	the on of / edical have ioned / four shall post and scale, scale ection
Grade Scale (5 % of total post after completing 6 year service in Selection Grade Scale)  Scale)  Grade Scale (5 % of total post after commendation Screening Selection  Committee, Monofficer who been sanct time pay scale tire pay scale tire pay scale be entitled for of Specialist senior grade selection grade	edical have ioned four shall post and scale, scale ection
of total post after completing 6 year service in Selection Grade Scale)  Scale)  of total post after commendation Screening Selection  Committee, M officer who been sanct time pay scale tire pay scale tire pay scale be entitled for of Specialist senior grade selection grade	edical have ioned four shall post and scale, scale ection
of total post after completing 6 year service in Selection Grade Scale)  Scale)  Screening Selection Committee, M officer who been sanct time pay scale tire pay scale be entitled for of Specialist senior grade selection grade	edical have ioned four shall post and scale, scale ection
year service in Selection Grade Scale)  Selection Grade Scale)  Selection Committee, M officer who been sanct time pay scale tire pay scale be entitled for of Specialist senior grade selection grade	have ioned / four shall post and scale, scale ection
Selection Grade Scale)  Committee, M officer who been sanct time pay scale tire pay scale be entitled for of Specialist senior grade selection grade	have ioned / four shall post and scale, scale ection
Scale) officer who been sanct time pay scale tire pay scale be entitled for of Specialist senior grade selection grade	have ioned / four shall post and scale, scale ection
been sanct time pay scale tire pay scale be entitled for of Specialist senior grade selection grade	ioned / four shall post and scale, scale
been sanct time pay scale tire pay scale be entitled for of Specialist senior grade selection grade	four shall post and scale, scale
time pay scale tire pay scale be entitled for of Specialist senior grade selection grade	four shall post and scale, scale
tire pay scale be entitled for of Specialist senior grade selection grade	shall post and scale, scale
be entitled for of Specialist senior grade selection grade	post and scale, scale ection
of Specialist senior grade selection grade	and scale, scale ection
senior grade selection grade	scale, scale ection
senior grade selection grade	scale ection
selection grade	scale ection
	ection
and senior sel-	
	_
grade scale	of
specialist as we	:11.
10 Dental Specialist 54 Class I P.B3 (15600- (1) In Case	of no
39100)+Grade departmental	
Pay 6600 enquiry and	legal
onquity and	_
Junior Grade case and Or	
Scale (100 %) recommendation	n <b>o</b> f
Screening	/
Selection Comm	nittee.
often completi	
1.D3 (13000-	
39100)+ Grade   1	
Pay 7600 Junior grade	scale,
	scale,
-Do- Senior Grade and selection	grade
Scale (100 % scale, eligible	for
I latter completing	
6 year service in senior grade	
Junior Grade selection grade	
Scale) and senior sel	
grade	scale
P.B4 (37400- respectively	but
67000\\ Crodo	e no
D 9700	
change in	their
Selection Grade	senior
Scale (100 % grade scale, sel	ection
-Do- after completing grade scale	and
	ection
Senior Grade grade scale and	
grade source and	
offen contents	
perform emer	gency
duties as well.	
P.B4 (37400-	

25 3			67000)+ Grade	(2) In Case of no
~ 1			Pay 8900	departmental
	•	-Do-	Senior Selection Grade Scale (5 % of total post after completing 6 year service in Selection Grade Scale)	enquiry and legal case and On the recommendation of Screening / Selection Committee, Dental Surgeon who have been sanctioned time pay scale / four tire pay scale shall be entitled for post
				of Dental Specialist
				and senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale of
1			_	specialist as well.

1,3	Medical Officer	5097	Class - II	P.B3 (15600-	(1) On the
•				39100)+Grade Pay	recommendation of
	30°			5400	Screening /
	(a) Junior Grade				Selection Committee,
	Scale (100 %)				after completing 6
	Scale (100 70)			-	Years service in
		-			Junior grade scale, 6
			Class - I		years in senior grade
	(b) Senior Grade			D.D. 2 (15600	scale, and 6 years
	Scale	-		P.B3 (15600-	service in selection
	(100 % after		C × 2	39100)+Grade Pay	grade scale, eligible
	completing 6			6600	for senior grade
	year service in				scale, selection grade
	Junior Grade				scale and senior
	Scale for MBBS				selection grade scale
	and Post				respectively for only
	Graduate			;c•5)	MBBS degree
	degree /		=		holders, but there
	Diploma				shall be no change in
	holders will be				their duties in senior
	eligble for			Get Control	grade scale, selection
	selection on	2			grade scale and
	specialist post				senior selection
	asper vacancy				grade scale and they
	in respective			÷.,,	shall continue to
1	specialisation)		10		perform emergency
	,		-Do-	((	duties as well.
	(c) Selection				(2) On the recommendation of
	Grade Scale				Screening /
	Grade Scale			P.B3 (15600-	Selection Committee,
	(100 % after			39100)+Grade Pay	post gradudate
	completing 6			7600	degree / diploma
	year service in				holders will be
	Senior Grade				entitled for selection on pay scale (15600-
	Scale for MBBS				39100) + 6600 Grade
	and Post				pay after completing
	Graduate				2 years service after
	degree /				Degree and 3 years
	Diploma			P I	service after
	holders will be			A.	Diploma, if post is vacant in respective
	eligble for				specialist cadre.
	selection on				Duties of selected
	specialist post	,			officers will be asper
1	asper vacancy				specialist posts. The

£	in respective				relative seniorit
	specialisation)		Į.		between direc
	اليهن				recruits and selecte
			D-		persons shall b
	(1) " (2)		-Do-		determined
	(d) # Senior				according to the dat
	Selection Grade		14		of issue
	Scale				appointment
		11			promotion
	(100 % after			P.B4 (37400-	selection order
	completing 6			67000)+Grade Pay	
	year service in			8700	
	Selection Grade			\$700	
	Scale for				
				n . ×	
	MBBS)				

0	·				(1)
<sub>n'</sub> 14	Dental Surgeon	187			(1) On the
					recommendation
	<i>5</i> 4.				of Screening /
	(a) Junior Grade		Class – II	P.B3 (15600-	Selection
	Scale (100 %)			39100)+Grade	Committee, after
			Į.	Pay 5400	completing 6
				-	Years service in
	(h) Comion Crada				Junior grade
	(b) Senior Grade		Class - I	DD 2/15600	scale, 6 years in
	Scale	×		P.B3 (15600-	senior grade scale,
	(100 % after			39100)+Grade	and 6 years
	completing 6			Pay 6600	service in
Y .	year service in				selection grade
	Junior Grade				scale, eligible for
	Scale for BDS				senior grade scale,
					selection grade
	and Post				scale and senior
	Graduate MDS				selection grade
	degree holders				scale respectively
	will be eligble				
	for selection				1 1
	on Dental				degree holders,
	specialist				but there shall be
	asper vacancy	± ''			no change in their
	in respective				duties in senior
	post)	l i			grade scale,
					selection grade
					scale and senior
	(c) Selection				selection grade
	Grade Scale			P.B3 (15600-	scale and they
	Grade Scale		-Do-	39100)+Grade	shall continue to
	Senior Grade			Pay 7600	perform
	Scale			Fay 7000	emergency duties
					as well.
	(100 % after		: 201		
	completing 6				(2) On the
	year service in				recommendation
1	Senior Grade	9			of Screening /
	Scale for BDS				Selection
	and Post				Committee, post
	Graduate MDS				gradudate degree
	degree holders		= =		MDS holders will
	will be eligble				be entitled for
	for selection				selection on pay
	on Dental				scale (15600-
					39100) + 6600
1.2	specialist				Grade pay after
	asper vacancy				completing 2
	in respective				completing 2

- 37	λ			
6	post)			years <b>s</b> ervice
	(d) # Senior Selection Grade Scale  (100 % after completing 6 year service in Selection Grade Scale for BDS)	-Do-	P.B4 (37400- 67000)+Grade Pay 8700	after Degree, if post is vacant in Dental specialist posts. Duties of selected officers will be asper specialist posts. The relative seniority between direct recruits and selected persons shall be determined according to the date of issue of appointment / promotion / selection order

(2) After Note-2, the following Note shall be added, namely:-

"Note - 3. Doctors will be eligible for pay-scale According to the revised order number F 14-01/2015/17/Medi-1 dated 16.03.2016 of the Government of Madhya Pradesh, Public Health and Family Welfare Department, which was issued to rectify the discrepancy in implementing four tire pay-scale in respect to specialist cadre by State Government, by concent note no. 92/13/2016/finance/rule/4 dt 18-01-2016 of finance department."

4. InSchedule-II, in Group-"A" Medical, for Serial No. 9 and 10, the following Serial No. shall be substituted, namely:-

## "SCHEDULE-II (See Rules 6) Method of Recruitment Group - "A" - Medical

		1					_	
	Sr.	Name of Post	Name of	Total	Percentage of the		duty post	Remarks
1	No.		Service	No of	to	be filled		
ĺ				Duty	By Direct	By	By	1
		1		Post	Recruitment	Promotio	Transfer	
		lac i			(See Rule 6	n/Selecti	of	
			ll-s		(1) (a))	on (By	persons	
				1,1	(1) (a))	promoted	from	
							other	
						pay sclae/	services	
			35.			four tier	Services	
							(See	
					±:	pay scale)	Rule 6	i i
1						(See Rule	(1) (c))	
1		, e.	1			6 (1) (b))	. , , , , ,	
						- (-/ (-//	-	
Γ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	"9	Specialist						
	0 ., 34,11	(a) Anesthesia	Madhya	385	25 %	75 %		The posts
		Specialist	-Pradesh					mentioned
		, I	Public					in column
1			Health and					2 shall be
1			Family					filled by
			Welfare					percentage
1			(Gazetted)					as shown
1		×	Services-					in column
1			Class I					6 by doctors on
1							Pi	the basis
1		(b) ENT	-Do-	86	25 %	75 %	· · · ·	of
1		Specialist						selection
		(c) Medical	-Do-	648	25 %	75 %	S#R	in Four
ĺ		Specialist						tier pay
		(d) Obstetrics	-Do-	632	25 %	75 %	:=:	scale/
		and						Promoted
		gynaecology						pay scale.
		Specialist					-	. ,
		1						

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	(e) Eye	-Do-	126	25 %	75 %		
ri,	Specialist	20	120				
	(f)Orthopedic Specialist	-Do-	228	25 %	75 %	3	
	(g) Paediatric Specialist	-Do-	516	25 %	75 %	24	
	(h)Pathologist	-Do-	137	25 %	75 %	*	
	(i)Radiologist	-Do-	98	25 %	75 %		
	(j)Srugery Specialist	-Do-	655	25 %	75 %	_	
	(k)TB & Chest Specialist	<b>-</b> Do-	53	25 %	75 %	æ	
10	Dental Specialist	-Do-	54	25 %	<b>7</b> 5 %	-	-Do".

1

## 5. In Schedule-III,-

(1) forGroup-"A" Medical, the following group shall be substituted, namely:-

## Schedule-III (See Rule 8) "Group 'A' Medical

S. No.	Name of Post	Minimum Age limit		Prescribed Education Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1,	Specialist			7	70-71-20-
	(a)Anesthesia Specialist	21 years	40 years	(1)Diploma / CPS Diploma in respective specialization or	* **
	(b) ENT Specialist			equivalent qualification recognised by Medical	
	(c) Medical Specialist			Council of India.	
	(d) Obstetrics and			or	
	gynaecology Specialist			Post Graduate Degree in respective specialization recognised by Medical	
	(e) Eye Specialist			Council of India.	
	(f)Orthopedic Specialist		Ţ	or Super Speciality Degree /	
	(g)Paediatric Specialist			Diploma in respective specialization recognised by Medical Council of	
	(h) Pathologist			India.	
	(i) Radiologist				
	(j)Srugery Specialist			(2) Registration in MP Medical Council is compulsory.	
	(k) TB & Chest Specialist			computsory.	- 1
2.	Dental Specialist	21 years	40 years	(1)Post Graduate Degree recognised by Medical Council of India.	- 4
				(2)Registration in MP Dental Council is compulsory.	

ار	3.	Medical Officer	21 years	40 years	(1) MBBS or equivalent qualification recognised by Medical Council of India.	-
					(2) Registration in MP Medical Council is compulsory.	
	4.	Dental Surgeon	21 years	40 years	(1) BDS Degree or any equivalent degree from a recognised university.	».
					(2) Registration in MP Dental Council is compulsory.	

- (6) In Schedule III Group-"A" Medical, the following Note shall be added,namely:-
- "Note 1. The doctor / dental surgeon working under the Public Health and Family Welfare Department will not require departmental no-objection certificate for the post of specialist advertised by the Madhya Pradesh Public Service Commission. But the doctor / dental surgeon posted under other departments will be required to submit a no-objection certificate from the Head of Department's office.
  - 2. In the event of selection for the post of specialist / dental specialist of a doctor / dental surgeon posted under the Public Health and Family Welfare Department / under other departments, it will be mandatory to submit a technical resignation from the previously held post.
  - 3. For the post of specialist advertised by the Madhya Pradesh Public Service Commission, the benefit of previous service to a doctor/dental surgeon working under the Public Health and Family Welfare Department as per rules, if otherwise payable under the rules, will be allowed for the purpose of fixation of pay on the new post.'.

7. In Schedule-IV, in Group-"A" Medical, for Serial No. 9 and 10, the following Serial No. shall be substituted, namely:-

Tie	r. Name of			
		Name of post to	Essential	Name of Members
I I		which promotion /	4	of the Department
	Service	selection is to be	and other experience	Promotion /
1	from which	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	of the post from	Selection /
	promotion	F 3	which promotion /	Scrutiny
	is to be	scale)	selection is to be	Committee
	made		made	,
(1	(2)	(3)	(4)	(5)
"9	S D	Specialist	Such doctors who	1. Additional Chief
	Officer	(a) A	have held	Secretary/
		(a) Anesthesia	postgraduate degree /	Principal
1		Specialist (b) ENT Specialist	postgraduate diploma	Secretary/Secret
1		(b) ENT Specialist	and have obtained	ary Public Health
-		(c) Medical Specialist	minimum senior grade	and Family
	1	**************************************	pay scale or such	Welfare
		(d) Obstetrics and	doctors who have	Department -
- 1		gynaecology	completed 02 years	Chairman
- 1		Specialist	regular service in the	oa
- [			post of doctor after	3. Health
1		(e) Eye Specialist	postgraduate degree or	Commissioner,
		(0.0.1)	03 years after	Member
		(f) Orthopedic	3	
		Specialist	postgraduate diploma,	4. Additional
		(a) Doodist-is	will get upgraded pay	Director
1		(g) Paediatric	scale PB-3 (15600-	(Finande) /
	1	Specialist	39100) + 6600 and will	Financial
		(h) Pathologist	be eligible for selection	Advisor, Public
		(ii) I dillologist	as per vacancy in	Health and
1		(i) Radiologist	specialist cadre by	Family Welfare
1			getting grade pay.	Department -
1		(j) Srugery Specialist		Member
		d) mp o c:		
1	1	(k) TB & Chest		4. Additional
Í		Specialist		Director
				(Administration)/
				Gazatted), Public
1				Health and
4			- 1	Family Welfare
i			i	Department -
				Member
-				
10.		Dental Specialist	Such dental surgeons	-do".
	Surgeon		who have held a	
1 1			postgraduate degree	
			and have obtained	
			minimum senior grade	
			scale or such dental	

Y V	surgeons who have completed 02 years regular service in the post of dental surgeon after master's degree, in the upgraded pay scale (15600- 39100) + 6600 and will be eligible for selection as	
	6600 and will be eligible for selection as per vacancy on the post of Dental Specialist cadre by getting grade pay.	ı

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. त्रिपाठी, उपसचिव.